फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

रामकुमारी व अन्य बनाम बिहारी व अन्य

प्रकरण संख्या 2024/009

online #

अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
22.03.2024	वादी अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बतरा द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 24 अप्रैल, 2024 को पेश हो.	
	24/04/24 आज बार सघ न कार्य नहीं करन का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/05/24 को पेश हो।	
	28/5/24 आज बार सघ न कार्य नहीं करन का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-7-24 को पेश हो।	
	12/7/24 आज पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/8/24 को पेश हो	
	12/8/24 आज पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/9/24 को पेश हो	
	24/9/24 आज पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/10/24 को पेश हो	
	15.10.24 अधिवक्ता [illegible] अधिवक्ता को प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की तलबी हेतु [illegible] में पर्याप्त अवसर दिये जा चुके। वादी अधिवक्ता को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पंजीकृत सम्मन प्राप्त करने की हिदायत दी गयी अंतिम अवसर दिया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:15:16 IST
Reason: SelfAttested

जाता है। पत्रावली पत्रावली तलबी हेतु दिनांक
13.11.24 को पेश हो।

13-11-24 आज पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित कार्य में व्यस्त
पर है, पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 7-1-25 को पेश हो।

7-1-25 आज पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित कार्य में व्यस्त
पर है, पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 31-1-25 को पेश हो।

31/01/25 अधिवक्ता वादी वादी ने
उप. क्र. 1 तथा 2 की तलबी की
पंजीकृत डाक्यूमेंट दिखाने के संबंध में
पंजीकृत डाक्यूमेंट तलबी की प्रार्थना
पत्र तलबी हेतु दिनांक 05/03/25
को पेश हो।

Ra
103
07/1

5-3-25 आज पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित कार्य में व्यस्त
पर है, पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 16/04/25 को पेश हो।

16/04/25 अधिवक्ता वादी उप. 1 वादी अधिवक्ता
ने प्रतिवादी क्र. 1 तथा 2 की तलबी आदेशिका
तक नहीं [illegible] अधिवक्ता को
प्रतिवादीगण की तलबी [illegible] में पर्याप्त
अवसर दिया [illegible] के
आदेश 9 नियम 5 सपठित धारा 151 कार्यवाही की
जाकर प्रकरण स. 209/2009 दुर्गाप्रसाद रामकुमारी
व अन्य बनाम बिहारी व अन्य वर्तमान स्तर पर
खारिज किया जाता है पत्रावली में अन्य कोई
कार्यवाही अपेक्षित नहीं है पत्रावली दाखिल दफ्तर
लेकर की जाकर निर्णय की प्रति के साथ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:15:16 IST
Reason: SelfAttested